गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय)

पत्रांक: गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/ 26779-27371 दिनांक: 31 अगस्त, 2010

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
समस्त अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थाएं ।

विषय- निर्धारित शिक्षण शुल्क लिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करें ।

1. जी0बी0टी0यू0/कुस0का0/एके0/2010/16277-16870, दिनांक 15.7.10 ।
2. गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/19172-19765, दिनांक 31.7.10 ।
3. गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/24256-24849, दिनांक 18.8.10 ।
4. गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/24974-25567, दिनांक 19.8.10 ।

इस संबंध में मुझे यह कहने की अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय के उक्त पत्रो द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि आपकी संस्था में अध्ययनरत द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के छात्रों से उनके प्रवेश के वर्ष में प्रभावी शिक्षण शुल्क ही लिया जायेगा । प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा वर्ष 2010-11 के लिये संस्थाओं की विभिन्न पाठ्यक्रमों का शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है, वह शिक्षण शुल्क वर्ष 2010-11 में नव प्रवेशित छात्रों से ही लिया जायेगा। उक्त की सूचना के साथ संस्था स्तर पर तदनुसार कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई है।

इस संबंध में सूचित करना है कि कतिपय संस्थाओं के छात्र एवं अभिभावक विश्वविद्यालय में आकर यह शिकायत कर रहे है कि संस्थाओं में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत छात्रों से प्रवेश के वर्ष में ली गई शिक्षण शुल्क से अधिक शिक्षण शुल्क लिया जा रहा है और इसी आशय के समाचार दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए है कि संस्थाओं द्वारा प्रभावी शुल्क से अधिक शुल्क लिया जा रहा है। यह अत्यंत गंभीर प्रकरण है। अत: उक्त के परिपेक्ष्य में सभी संस्थाओं को पुन: निर्देशित किये जाने की अपेक्षा है कि अपने संस्थान में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत छात्रों से उनके प्रवेश के वर्ष में प्रभावी शिक्षण शुल्क ही लिया जाए, उससे अधिक अथवा विभिन्न मदों के अन्तर्गत अधिक शुल्क कदापि न लिया जाए ।

इस संबंध में यह अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा गठित प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा निजी क्षेत्र में स्थापित 218 अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये सत्र 2010-11 हेतु शिक्षण शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है, समिति द्वारा निर्धारित उक्त शुल्क शैक्षिक सत्र 2010-11 से आगामी दो वर्षो (कुल तीन वर्ष) अर्थात 2010-11,

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन-2732193, फैक्स-2732185

2011-12 एवं 2012-13 के लिये लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। अत: किन्ही अन्य मदों के नाम पर कोई शुल्क चार्ज नही किया जायेगा । समिति द्वारा जिन संस्थाओं की सत्र 2010-11 के लिये शिक्षण शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है, उन संस्थाओं की पाठ्यक्रमवार शिक्षण शुल्क प्रवेश और फीस नियमन समिति की वेबसाइट www.afrcup.in पर उपलब्ध है।

उक्त के अतिरिक्त अवशेष जिन संस्थाओं ने प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित तिथि तक किन्ही कारणवश अपने प्रस्ताव प्रेषित नही किये गये, उन संस्थाओं की भी पाठ्यक्रमवार शिक्षण शुल्क प्रवेश और फीस नियमन समिति के आदेश संख्या 347/प्र0फी0नि0स0/2010, दिनांक 9.8.10 द्वारा निर्धारित किया गया है। ऐसी संस्थाओं की सूची भी समिति की उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। समिति की उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फीस स्ट्रक्चर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uptu.ac.in से भी लिंक किया गया है।

आपसे अपेक्षा है कि समिति द्वारा सत्र 2010-11 के लिये संस्थाओं का शिक्षण शुल्क निर्धारित कर दिया गया है, अतएव संस्थाएं सत्र 2010-11 में तदनिर्धारित शिक्षण शुल्क ही सत्र 2010-11 में नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं से लेना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त जिन संस्थाओं द्वारा समिति को निर्धारित तिथि के अंदर प्रस्ताव प्रेषित नही किये है, उन संस्थाओं के भी पाठ्यक्रमवार शिक्षण शुल्क का निर्धारण समिति द्वारा किया गया है। ऐसी संस्थाओं द्वारा उक्त निर्धारित शिक्षण शुल्क ही नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं से लेना सुनिश्चित किया जाय ।

इस संबंध में पुन: सूचित किया जाता है कि प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा वर्ष 2010-11 हेतु संस्थाओं की विभिन्न पाठ्यक्रमों की शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है, वह सत्र 2010-11 में नव प्रवेशित छात्रों से ही लिया जाना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि किसी संस्था द्वारा संस्था में अध्ययनरत द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के छात्रों से प्रवेश के वर्ष में प्रभावी शिक्षण शुल्क से अधिक शुल्क लिया जाता है, तो वह घोर वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी और विश्वविद्यालय से ऐसी संस्था/प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी । उक्त की सूचना के साथ अपेक्षा है कि कृपया संस्था स्तर पर तद्नुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराएं ।

भवदीय

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक-उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उ0प्र0, राजभवन, लखनऊ ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
3. वित्त अधिकारी, जी0बी0टी0यू0, लखनऊ ।
4. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, जी0बी0टी0यू0, लखनऊ ।

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन-2732193, फैक्स-2732185